हमारे प्रेरणास्रोत



श्री तारकिशोर प्रसाद

माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार



सत्यमेव जयते

№ S21115

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण–पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या S000204 वर्ष 2021-2022

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि AKHIL BHARTIYA VIYAHUT KALWAR MAHASABHA

Address - AT-FLAT NO-203,ASHIANA VIHAR APARTMENT,RAJENDRA PATH,DISTT-PATNA

PATNA BIHAR 800001

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबंधित हुआ / हुई ।

आज तारीख 11 मास Dec वर्ष 2021 को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

संस्था निबंधन अधिनियम -21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के भारत में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाय।

महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निबंधन महानिरीक्षक महोदय,
निबंधन विभाग, नया सचिवालय,
बिहार, पटना ।

विषय :- **"अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा"** नामक संस्था का निबंधन करने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि "**अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा**" के निबंधन कराने हेतु संस्था का आलेख तथा आम-सभा का प्रस्ताव, स्मृति-पत्र, नियमावली एवं आवेदन के साथ संलग्न कर जमा कर रहा हूँ ।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त संस्था का निबंधन, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा

महासचिव

अनुलग्नक -

1. आम-सभा का प्रस्ताव
2. स्मृति-पत्र
3. नियमावली
4. अध्यक्ष, महाससिव एवं कोषाध्यक्ष के रापत्रित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पहचान पत्र
5. कार्यालय का फोटो
6. मुखिया या वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत कार्यालय प्रमाण की प्रति

आम–सभा का प्रस्ताव

आज दिनांक 05.08.2021 को "**अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा**" की आम सभा की बैठक अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार भगत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गये।

प्रस्ताव संख्या–1

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है "**अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा**" का निबंधन, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित करा लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या–2

साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था के निबंधन कराने का भार महासचिव श्री सुशील कुमार को सौंपा जाय।

ह० / – अध्यक्ष

.....

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम–सभा के प्रत्साव की सच्ची प्रति है।

Dinesh Kumar Bhagat

अध्यक्ष

अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा

महासचिव

"अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा"

का

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– "अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा"
2. निबंधित कार्यालय :– संस्था का कार्यालय–फ्लैट नं०–203, आशियाना बिहार अपार्टमेन्ट, राजेन्द्र पथ, जिला–पटना, पिन कोड–800001 (बिहार) में रहेगा । आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।
3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।
4. उद्देश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होगें :–

1. समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पिछड़ापन, सामाजिक, कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को दूर करने के लिए सतत् प्रयत्न करना तथा समय–समय पर परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार जीवन के हर क्षेत्र में निरन्तर अग्रसर होने के लिए, प्रयास करना तथा एक दूसरे को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना ।
2. समाज में शिक्षा में प्रचार–प्रसार करना तथा शिक्षा प्राप्त करने में तत्पर एवं शिक्षा के अध्ययन में लीन मेधावी छात्र–छात्राओं को अध्ययन में आर्थिक सहयोग (छात्रवृत्ति) देने के लिए एक कोष की संचालन करना एवं उन्हें छात्रवृत्ति देने की समुचित व्यवस्था करना।
3. संस्था की ओर से सामाजिक सांस्कृति, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले तथा बिशिष्टता प्राप्त सामाजिक व्यक्तियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करना।
4. समय–समय पर सामाजिक व्यक्तियों की गोष्ठी आयोजन करना तथा ज्ञान विकसित करने एवं आपसी सद्भावना को बढ़ाने हेतु समय–समय पर प्रवचन एवं गोष्ठी का आयोजन करना तथा प्रगति की समीक्षा एवं विवेचना करना तथा समाज की प्रगति, सदुभावना एवं आपसी सहयोग की भावना के प्रसारण हेतु पत्रिका एवं स्मारिका का प्रकाशन करना एवं उसे सशुल्क या नि:शुल्क वितरित करना।
5. संस्था द्वारा समय–समय पर सामाजिक महापुरूषों की जयन्तियों का आयोजना करना तथा उनके सराहनीय कार्यों के लिए संगोठियाँ का आयोजन करना तथा कुल देवता श्री बलभद्र जी की पूजा एवं उनकी वार्षिक जयनती का आयोजन करना।
6. संस्था द्वारा कलवार एवं अन्य समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।
7. संस्था द्वारा कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन, हार्ड वेयर, सॉफ्टवेयर, हुनर, इन्टरनेट आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना ।

अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा

महासचिव

8. शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा आवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, पठन-पाठन कक्ष, छात्रावास, अल्पसंख्यक विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना तथा गरीब असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना।

9. समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। टीकाकरण शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का संचालन करना। असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी० बी० कालाजार हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा एम्बुलेंश सेवा, चलन्त चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य रक्षा हेतु आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपैथिक चिकित्सा के द्वारा अधिक से अधिक मदद पहुँचाना तथा विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण करना।

10. अल्पसंख्यक एवं अन्य बाल-श्रमिक, महिला श्रमिक एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना। उनके लिए शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना। विकलांगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करना।

11. पर्यावरा को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। सौर उर्जा, प्राकृतिक उर्जा का प्रचार-प्रसार करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना तथा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात के नियमों का प्रचार-प्रसार करना।

12. संस्था द्वारा कलवार एवं अन्य समुदाय महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुड़िया निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण सौन्दर्य एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देना तथा महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, बालबाड़ी, आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र का संचालन करना।

13. संस्था द्वारा कलवार एवं अन्य समुदाय अन्य निःसहाय महिलाओं एवं पूरूषों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना वं स्वावलम्बी बनने में मदद करना।

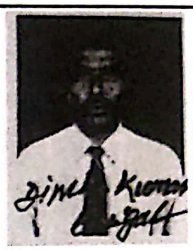
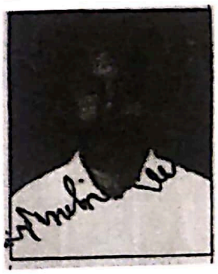
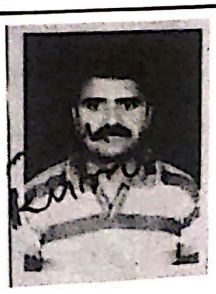
14. संस्था द्वारा कलवार एवं अन्य समुदाय के बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना ।

15. आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना। राहत कार्यों में सहयोग करना।

अखिल भारतीय विवाहुत कलवार महासभा

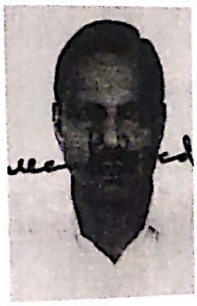
महासचिव

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है। वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का का भार सौपा गया है।

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित फोटो
1	श्री दिनेश कुमार भगत पिता–स्व0 राधा कृष्णा भगत	नियर रेलवे स्टेशन वार्ड नं0–11 फारबिसगंज फारबिसगंज, अररिया बिहार–854318	अधिवक्ता एवं समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	श्री सुशील कुमार पिता–स्व0 उमा शंकर प्रसाद	101, आशीष लोक राजेन्द्र पथ, पीरमोहानी एक्जिबीशन रोड, पटना बिहार–800001	व्यापार एवं समाज सेवा	महासचिव	
3	श्री संजय कुमार पिता–स्व0 ताराचंद प्रसाद	191, अशोक बिहार रोड दुर्गा मंदिर के पास वार्ड नं0–48 वचस्पति नगर सम्पतचक, महेन्द्र, पटना बिहार–800006	व्यापार एवं समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	
4	श्री राजेन्द्र कुमार पिता–स्व0 उमाशंकर प्रसाद	401, ज्ञान अपार्टमेन्ट डा0 आर0एन0 सिंह मोड़ कंकड़बाग रोड, जिला–पटना	व्यापार एवं समाज सेवा	सदस्य	
5	श्री गणेश भगत पिता–स्व0 कार्तिक प्रसाद भगत	201 स्टेडियम भ्यू अपार्टमेन्ट बाजार समिति रोड, जिला–पटना	व्यापार एवं समाज सेवा	सदस्य	

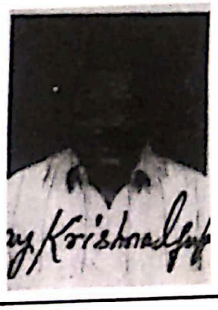
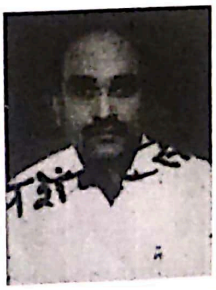
अखिल भारतीय विवाहुत कामवार महासभा

महासचिव

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित फोटो
6	श्री जितेन्द्र कुमार पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद	जय महावीर कॉलोनी गलजी नं0–5 संदलपुर, पटना	व्यापार एवं समाज सेवा	सदस्य	
7	सुशील कुमार भगत पिता–रामनाथ भगत	गांव–तुलसी किला पो0–पत्थरगामा जिला–गोड्डा झारखण्ड	व्यापार एवं समाज सेवा	सदस्य	
8	श्रीमती संगीता चौधरी पति–प्रभु दयाल प्रसाद	सीतामढ़ी गाँधी चौक जिला–सीतामढ़ी	समाज सेवा	सदस्य	
9	रामाशंकर प्रसाद पिता–स्व0 लाल बाबु प्रसाद	बबुआगंज, पोस्ट–गुलजारबाग जिला–पटना	व्यापार एवं समाज सेवा	सदस्य	
10	श्रीमती पूनम देवी पति–श्री राधेश्याम प्रसाद	अशोक नगर रोड नं0–10 कंकड़बाग, पटना–20	समाज सेवा	सदस्य	

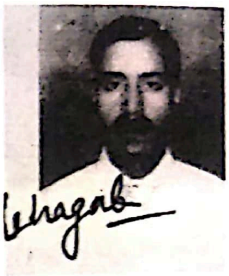
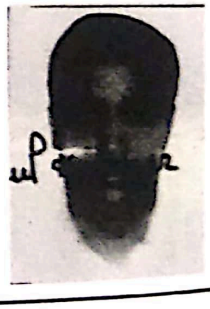
अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासभा

महासचिव

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित फोटो
11	प्रमोद कुमार पिता–महेन्द्र प्रसाद	ईस्ट फ्रेम होटल आशीर्वाद कोर्ट बाजार, चक महिला, सीतामढ़ी	समाज सेवा	सदस्य	
12	अशोक कुमार गुप्ता पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद	फ्लेट नं0–301 वेनस रेसिडेन्सी नेहरू नगर पाटलीपुत्रा, पटना–13	व्यापार एवं समाज सेवा	सदस्य	
13	श्री सीताराम भगत पिता–स्व0 बनारसी प्रसाद भगत	50, कॉरपोरेशन ह0 सी0डी0ए0 कॉलोनी एल0बी0एस0 नगर पटना	समाज सेवा	सदस्य	
14	श्री विजय कृष्ण गुप्ता पिता–स्व0 शिव प्रसाद गुप्ता	ए/403, चारमीनार अपार्टमेन्ट, राजेन्द्र नगर, जिला–पटना	समाज सेवा	सदस्य	
15	श्री उदय शंकर सिंह पिता–स्व0 उमा शंकर साह	140–डी0 भगतीन गली, राजा बाजार, जिला–पटना	समाज सेवा	सदस्य	

अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासभा

महासचिव

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित फोटो
16	श्री हरि मोहन प्रसाद पिता–स्व0 सत्यनारायण प्रसाद	राज बाजार, चाणक्यपुरी जिला–पटना ।	समाज सेवा	सदस्य	
17	श्री नवल किशोर प्रसाद पिता–स्व0 अवध बिहारी प्रसाद	बाकरगंज, बजाजा गली जिला–पटना	समाज सेवा	सदस्य	
18	श्री कपिल भगत पिता–बदरी प्रसाद भगत	घर नं0–120 गोला रोड, राम जयपाल नगर जिला–पटना	समाज सेवा	सदस्य	
19	अनुप कुमार पिता–स्व0 लाल बाबु प्रसाद	बबुआगंज गुलजारबाग, जिला–पटना ।	समाज सेवा	सदस्य	

Attested
(Kumar Amit)
Special Superintendent
Prohibition & Excise Deptt.
Govt. of Bihar

हस्ताक्षर

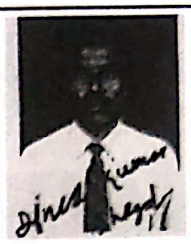
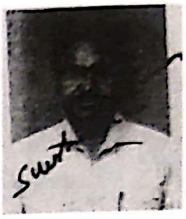
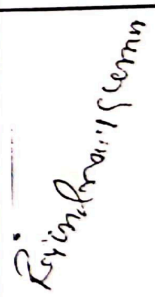
अखिल भारतीय विवाहित कामगार महासभा

नाम –

पद – महासचिव

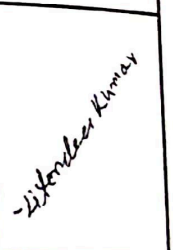
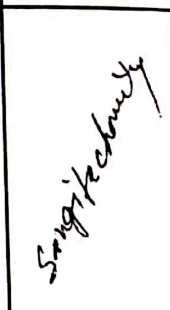
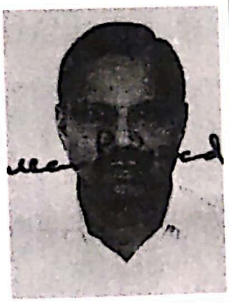
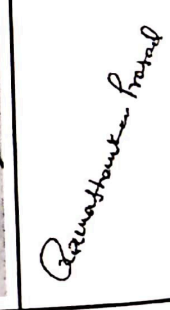
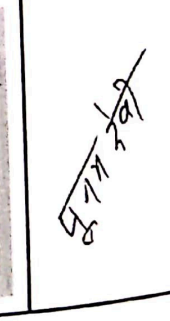
महासचिव

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम पता पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, वर्त्तमान के स्मृति-पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी है।

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	फोटो	हस्ताक्षर
1	श्री दिनेश कुमार भगत पिता-स्व0 राधा कृष्णा भगत	नियर रेलवे स्टेशन वार्ड नं0-11 फारबिसगंज फारबिसगंज, अररिया बिहार-854318	अधिवक्ता एवं समाज सेवा		
2	श्री सुशील कुमार पिता-स्व0 उमा शंकर प्रसाद	101, आशीष लोक राजेन्द्र पथ, पीरमोहानी एक्जिबीशन रोड, पटना बिहार-800001	व्यापार एवं समाज सेवा		
3	श्री संजय कुमार पिता-स्व0 ताराचंद प्रसाद	191, अशोक बिहार विहार, वाचस्पति नगर, कुम्हरार, पटना बिहार-800006	व्यापार एवं समाज सेवा		
4	श्री राजेन्द्र कुमार पिता-स्व0 उमाशंकर प्रसाद	401, ज्ञान अपार्टमेन्ट डा0 आर0एन0 सिंह मोड़ कंकड़बाग रोड, जिला-पटना	व्यापार एवं समाज सेवा		
5	श्री गणेश भगत पिता-स्व0 कार्तिक प्रसाद भगत	201 स्टेडियम भ्यू अपार्टमेन्ट बाजार समिति रोड, जिला-पटना	व्यापार एवं समाज सेवा		

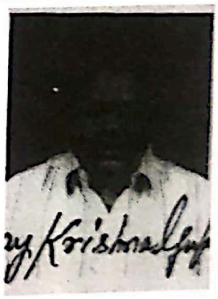
अखिल भारतीय विवाहुत कामवार महासभा

महासचिव

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	फोटो	हस्ताक्षर
6	श्री जितेन्द्र कुमार पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद	जय महावीर कॉलोनी गलजी नं0–5 संदलपुर, पटना	व्यापार एवं समाज सेवा		
7	सुशील कुमार भगत पिता–रामनाथ भगत	गांव–तुलसी किला पो0–पत्थरगामा जिला–गोड्डा झारखण्ड	व्यापार एवं समाज सेवा		
8	श्रीमती संगीता चौधरी पति–प्रभु दयाल प्रसाद	सीतामढ़ी गाँधी चौक जिला–सीतामढ़ी	समाज सेवा		
9	रामाशंकर प्रसाद पिता–स्व0 लाल बाबु प्रसाद	बबुआगंज, पोस्ट–गुलजारबाग जिला–पटना	व्यापार एवं समाज सेवा		
10	श्रीमती पूनम देवी पति–श्री राधेश्याम प्रसाद	अशोक नगर रोड नं0–10 पोस्ट–लोहिया नगर कंकड़बाग, पटना–20	समाज सेवा		

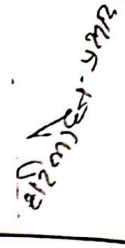
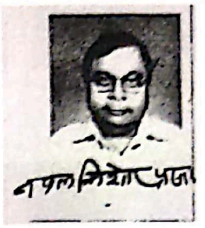
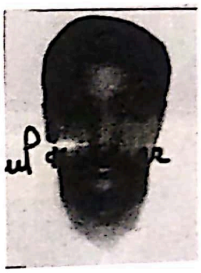
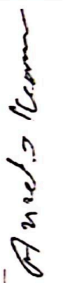
अखिल भारतीय विवाहुत कामवार महासभा

महासचिव

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	फोटो	हस्ताक्षर
11	प्रमोद कुमार पिता–महेन्द्र प्रसाद	ईस्ट फ्रेम होटल आशीर्वाद कोर्ट बाजार, चक महिला, सीतामढ़ी 843 3 02	समाज सेवा		
12	अशोक कुमार गुप्ता पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद	फ्लेट नं0–3 01 वेनस रेसिडेन्सी नेहरू नगर पाटलीपुत्रा, पटना–13	व्यापार एवं समाज सेवा		
13	श्री सीता राम भगत पिता–स्व0 बनारसी प्रसाद भगत	50, कॉरपोरेशन 80 सी0डी0ए0 कॉलोनी एल0बी0एस0 नगर पटना	समाज सेवा		
14	श्री विजय कृष्ण गुप्ता पिता–स्व0 शिव प्रसाद गुप्ता	ए/403, चारमीनार अपार्टमेन्ट, राजेन्द्र नगर, जिला–पटना	समाज सेवा		
15	श्री जगत नारायण भगत पिता–स्व0 जगदीश भगत	आजाद पथ गली नं0–2 लास्ट चाँदमारी रोड, कंकड़बाग, पटना–20	समाज सेवा		

अखिल भारतीय वियाहुत कामवार महासभा

महासचिव

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	फोटो	हस्ताक्षर
16	श्री हरि मोहन प्रसाद पिता–स्व0 सत्यनारायण प्रसाद	राज बाजार, चाणक्यपुरी जिला–पटना ।	समाज सेवा		
17	श्री नवल किशोर प्रसाद पिता–स्व0 अवध बिहारी प्रसाद	बाकरगंज, बजाजा गली जिला–पटना	समाज सेवा		
18	श्री कपिल भगत पिता–बदरी प्रसाद भगत	घर नं0–120 गोला रोड, राम जयपाल नगर जिला–पटना	समाज सेवा		
19	अनुप कुमार पिता–स्व0 लाल बाबु प्रसाद	बबुआगंज गुलजारबाग, जिला–पटना ।	समाज सेवा एवं व्यापार		

Attested

(Kumar Amit)
Special Superintendent
Prohibition & Excise Deptt.
Govt. of Bihar

हस्ताक्षर

अखिल भारतीय वियाहुत कामकार महासभा

नाम – सुशील कुमार

पद – महासचिव

महासचिव

"अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा"

का

नियमावली

1. संस्था का नाम :- "अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा"
2. परिभाषा :-
   (क) संस्था से अभिप्राय है :- "अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा"
   (ख) समिति से अभिप्राय है :- संस्था क कार्यकारिणी समिति ।
   (ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
   (घ) वर्ष से अभिप्राय है :- 01लीं अप्रैल से 31 मार्च तक ।
   (ड) एक्ट से अभिप्राय है :- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860
3. सदस्यता

   कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक के होंगे तथा जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकते है। सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 201/-रु० प्रवेश शुल्क एवं 501/-रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा। जिसमें निम्न सदस्य होंगे-

   (क) संरक्षक सदस्य-
   एक बार 10001/-रुपया या उससे अधिक राशि देने वाले सम्मानित व्यक्ति इस महासभा के संरक्षक सदस्य मनोनित किए जायेगें।

   (ख) आजीवन सदस्य-
   इस महासभा को 5001/-या इससे अधिक राशि, दान करने वाले दाता को आजीवन सदस्य मनोनित किए जायेगे।

   (ग) विशिष्ट सदस्य-
   महासभा को 2001/-रुपये दान करने वाले दाता को विशिष्टि सदस्य मनोनित किए जायेगे।
4. सदस्यता से विभुक्ति :-

   निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी।

   (क) स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
   (ख) पागल या मृत्यु होने पर ।
   (ग) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
   (घ) सदस्यता शुल्क लगातार तीन वर्ष तक नहीं देने पर ।
   (ङ) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।
   (च) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर।

अखिल भारतीय वियाहुत कलवार महासभा

महासचिव

5. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

(क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित कुल 19 सदस्य होंगे।

(ख) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा।

(ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्षों को होगी । निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है।

(घ) अगर कार्यकारिणी समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य की मनोनित कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा। चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे।

6. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-

अध्यक्ष

(क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

(ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना।

(ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना।

(घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

महासचिव

(क) संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

(ख) संस्था की ओर से पत्राचार करना।

(ग) पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

(घ) आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना।

(ङ) संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।

(च) कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

(छ) कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।

(ज) आवश्यकतानुसार अपने पास 5000/- रु0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।?

(झ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

(क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और महासचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

(ख) संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।?

(ग) संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

अखिल भारतीय विवाहुत कामगार महासभा

महासचिव

7. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

(क) संस्था के चल एवं अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होगा ।

(ख) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

(ग) शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।

(घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

8. आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

(क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

(ख) संस्थ्या के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

(ग) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अल्स पैधानिक कार्य करना ।

(घ) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

9. बैठक :-

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी ।

(ख) आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

(ग) कार्यकारिणी समिति एवं आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

10. बैठक की सूचना :-

(क) आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

(ख) आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

(ग) कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

(घ) कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।

(ङ) बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।

11. प्रार्थित बैठक

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर महासचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा । यदि महासचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा कि आववेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

12. कोरम (गणपूर्ति)

प्रत्येक बेठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

13. आय का श्रोत :-

(क) सदस्यसता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

(ख) सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान, सहायता ।

(ग) अन्यान्य श्रोत से आय ।

अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासभा

महासचिव

14. निधि का अंकेक्षण :-

(क) संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा ।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं । जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

15. कोष का संचालन :-

संस्था के सभी कोष को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

16. पंजी का निरीक्षण :-

संस्था का सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य महासचिव की अनुमति से सदस्य पंजी लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

17. नियमावली में संशोधन :-

नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

18. कानूनी कार्रवाई :-

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई महासचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जायेगी ।

19. विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-

(क) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा-13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

(ख) आमसभी के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्थता का विघटन किया जायेगा ।

(ग) विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति के समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

.....

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अखिल भारतीय विवाहुत कामवार महासभा

महासचिव